



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072026-274223
CG-DL-E-07072026-274223

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 503]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 3, 2026/आषाढ 12, 1948

No. 503]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 3, 2026/ASHADHA 12, 1948

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 561(अ).— औषधि नियम, 1945 का संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों के प्रारूप को, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 की उप-धारा (1) और धारा 33 की उप-धारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित, भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 66(अ), तारीख 28 जनवरी, 2026 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 28 जनवरी, 2026 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे व्यक्तियों से, जो उससे प्रभावित होने की संभावना रखते हैं, उस अवधि की समाप्ति से पूर्व जो उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराये जाने की तारीख से तीस दिन थी, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे'

और, उक्त शासकीय सरकारी राजपत्र की प्रतियां जनता को 28 जनवरी, 2026 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध जनता से कोई आपत्तियां और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श के बाद, औषधि नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औषधि (नौवां संशोधन) नियम, 2026 है।
(2) ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. औषधि नियम, 1945 में, नियम 43क में, "कोचीन और तिरुवनंतपुरम" शब्दों के स्थान पर, "कोचीन, तिरुवनंतपुरम और नवी मुंबई" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. एक्स.11035/131/2022-डीआर]

हर्ष मंगला, संयुक्त सचिव

टिप्पण: औषधि नियम, 1945 सरकारी राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 28-10/45-एच(1) तारीख 21 दिसंबर, 1945 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 530(अ), तारीख 29 जून, 2026 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 2026

G.S.R. 561(E).— Whereas a draft of certain rules further to amend the Drugs Rules, 1945 was published, as required under sub-section (1) of section 12 and sub-section (1) of section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare) number G.S.R. 66(E), dated the 28th January, 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) dated the 28th January, 2026, inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 28th January, 2026;

And whereas, no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 12 and 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government, after consultation with Drugs Technical Advisory Board, hereby makes the following rules further to amend the Drugs Rules, 1945, namely:-

1. (1) These rules may be called the Drugs (Ninth Amendment) Rules, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Drugs Rules, 1945, in rule 43A, for the words "Cochin and Thiruvananthapuram", the words, "Cochin, Thiruvananthapuram and Navi Mumbai" shall be substituted.

[F. No. X.11035/131/2022-DR]

HARSH MANGLA, Jt. Secy.

Note: The Drugs Rules, 1945 were published in the Official Gazette *vide* notification No. F. 28-10/45-H(1) dated 21st December, 1945 and last amended *vide* notification number G.S.R. 530(E), dated 29th June, 2026